संख्या-93/1489/24-1-2016-1140/2009

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 अगस्त, 2016**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 518/मप्र(वित्त)/विप्र-2/292/2016, दिनांक 22.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पाँच सौ करोड मात्र) को अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अगस्त, 2016 से माह मार्च, 2016 तक रूपये 62,50,00,000/- (रूपये बासठ करोड पचॉस लाख मात्र), की आठ समान किश्तों में किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत -05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 09-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10-यू0ओ0- 189 /दस-2016, दिनांक 12 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से इस शर्त के साथ जारी किये जा रहें है कि निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यापार विकास निधि से स्वीकृत योजनायें किन्ही अन्य योजना में स्वीकृत नहीं है और इसमें कोई द्विरावृत्ति नहीं है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 93 /1489(1)/24-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग-1

6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in